दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2011 का अधिनियम संख्यांक 20)

[23 दिसंबर, 2011]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए [1][31 दिसंबर, 2020 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए] विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

प्रवास और अन्य कारणों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली की भूमि और अवसंरचना पर अत्याधिक दबाव बढ़ा है, जिसके कारण अधिक्रमण या ऐसे अप्राधिकृत विकास हुए हैं, जो दिल्ली मास्टर प्लान-2001 और सुसंगत अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाई गई भवन निर्माण संबंधी उपविधियों में यथा उपबंधित योजनाबद्ध विकास की संकल्पना के अनुरूप नहीं हैं;

दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को शहरी विकास में सामाजिक, वित्तीय और अन्य आधारिक वास्तविकताओं के मुकाबले में उभरते हुए नए आयामों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा 7 फरवरी, 2007 को व्यापक रूप से उपातरित ओर अधिसूचित किया गया था;

और वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य में दिल्ली मास्टर प्लान शहरी निर्धनों के लिए आवास की रणनीतियों और अनौपचारिक सेक्टर से निपटने के लिए विनिर्दिषट रूप से उपबंध करता है;

[2]* * * * * * *

[3][और वर्ष 2041 के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली मास्टर प्लान बनाने का कार्य प्रगति पर है;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलानी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019 (2019 का 45) एक बार विशेष अध्युपाय के रूप में, अप्राधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के स्वामित्व या अंतरण अथवा बंधक अधिकारों को मान्यता प्रदान करने या प्रदत्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था ;

और दिल्ली में अप्राधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण के लिए 24 मार्च, 2008 को अधिसूचित विनियमों का अधिक्रमण करते हुए तारीख 28 अक्तूबर, 2019 को भारत के राजपत्र में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 अधिसूचित किया गया था ;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलानी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 में यथा उपबंधित अप्राधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदत्त करने की प्रक्रिया तथा अप्राधिकृत कॉलोनियों के लिए विकास नियंत्रण संनियम को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है और इसमें समय लगेगा ;

और केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण के संबंध में परिनिश्चित की गई नीति के आधार पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, का.आ. 97(अ), तारीख 17 जनवरी, 2011 द्वारा अधिसूचित विशेष क्षेत्र, अप्राधिकृत नियमित कॉलोनियों और ग्रामीण आबादियों के लिए भवन निर्माण विनियम बनाए गए हैं;

और अप्राधिकृत कॉलोनियां, ग्रामीण आबादी क्षेत्र और उनके विस्तारण तथा विशेष क्षेत्रों के लिए परिकल्पित कार्रवाई को पूरा करने के लिए और समय अपेक्षित हैं ;]

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 32 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम 32 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2021 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में गंदी वस्तियों के निवासियों और झुग्गी-झोपडी समूहों के पुनःस्थान तथा पुनर्वास के लिए उचित व्यवस्थाएं करने के लिए एक पुनरीक्षित नीति विरचित की गई है और तदनुसार, पर्यावरण और जीवन-निर्वाह की दशाओं में सुधार लाने के विचार से गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोपडी समूहों के सुधार के लिए स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए और झुग्गी-झोपडी समूहों में रहने वाले व्यक्तियों हेतु आवासीय स्कीम तैयार करने का उपबंध करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार वोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 7) अधिनियमित किया गया है;

और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में लगभग छह सौ पचासी झुग्गी-झोपडी समूहों की पहचान की है और उनके पुनस्थापन में काफी समय लगने की संभावना है;

[1][और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फार्म हाऊसों के संबंध में पुनरीक्षित नीति तैयार की जा रही है और उसको अंतिम रूप से परिनिश्चित करने में कुछ और समय लगने की संभावना है ।]

और [2][मास्टर प्लान] के अनुसरण में, विभिन्न जोनों के संबंध में जोनल विकास योजनाओं के अधिसूचित कर दिया गया है, जो 1 जनवरी, 2006 को या उससे पूर्व गैर-अनुरूप क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक संस्थाओं के नियमितिकरण का उपबंध करती है;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि निवेशों या उत्पादों (डेयरी और कुक्कुट सहित)के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों की बाबत नीति और गैर-अनुरूप क्षेत्रों (जिनके अंर्तगत गैर-कृषि मालों के भंडारण के लिए गोदाम भी है) में विद्यमान गोदाम समूहों के पुनःविकास के लिए अपेक्षत दिशानिर्देश, दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

[3][और केंद्रीय सरकार द्वारा 21 जून, 2018 को गैर-अनुरूप क्षेत्रों में विद्यमान गोदाम समूहों के मानक के संबंध में नीति अधिसूचित की गई है।]

और भारत के राजपत्र में का०आ०97 (अ), तारीख 17 जनवरी,2011 द्वारा अधिसूचित विशेष क्षेत्र अनधिकृत नियमित कालोनियां और गांव आबादियों के लिए भवन विनियम, 2010 के विनियम 2 के खंड (vi) में निर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों के संबंध में (जो वाल्ड सिटी, वाल्ड सिटी विस्तार और करोल बाग के नाम से ज्ञात क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र हैं, जिन्हें विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित किया जा सके) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पुनर्विकास योजना और स्कीमों की विरचना की जा रहा है, जिसमें काफी समय लगने की संभावना है;

और दिल्ली विकास (मास्टर प्लान और जोनल विकास प्लान) नियम, 1959 का नियम 12 प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर संपूर्ण मास्टर प्लान या उसके किसी भाग के संशोधन का यदि आवश्यक हो, उपबंध करता है और तदनुसार पूर्वोक्त नियम 12 के अनुसरण में, 7 फरवरी, 2007 को अधिसूचित मास्टर प्लान के उपबंधों के पांचवर्षीय पुनरीक्षण की प्रक्रिया ऐसे उपांतरणों के लिए और मूल वास्तविकताओं के आधार पर जो कुछ सामने आया है उसे अद्यतन बनाए जाने के लिए की जा रही है, जिसे अंतिम रूप देने में कुछ समय लगने की संभावना है;

और पूर्वोक्त पैराओं के ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन और लोकहित में है कि जनता को तब तक कोई कठिनाई (चाहे ढांचों को सील करके या अन्यथा) कारित नहीं की जाए जब तक पूर्ववर्ती पैरा में यथा कथित मास्टर प्लान का पुनरीक्षण मास्टर प्लान के निर्विघ्न पुनर्विलोकन को सुकर बनाने के लिए, नहीं कर दिया जाता है;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के क्षेत्रों के लिए 31 दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43), 5 दिसम्बर, 2007 को अधिनियमित किया गया था, जो 31 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रह गया था;

और पूर्वोक्त अधिनियम को 31 दिसम्बर, 2009 की अवधि तक जारी रखने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2009 (2009 का 24) अधिनियमित किया गया था, जो 31 दिसम्बर, 2009 के पश्चात् प्रवर्तन में नहं रह गया था;

---

[1] 2017 के अधिनियम 32 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] 2021 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा "दिल्ली मास्टर प्लान-2021" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2021 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

और उपर्युक्त अधिनियम को 31 दिसम्बर, 2010 की अवधि तक जारी रखने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2009 (2009 का 40) अधिनियमित किया गया था, जो 31 दिसम्बर, 2010 के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रह गया था;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2011 (2011 का 5) को पूर्ववर्ती पैरा में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति के उपबंधों को 31 दिसंबर, 2011 तक सतत प्रभाव देने के लिए और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है और अधिनियम, 31 दिसंबर,2011 के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रह जाएगा;

और यह समीचीन है कि ऊपर निर्दिष्ट नीतियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की बाबत किसी अभिकरण द्वारा किसी दांडिक कार्रवाई के विरुद्ध दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनता को राहत देने और अपरिहार्य कठिनाइयों तथा अपूर्णनीय हानि को कम करने का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम को [1][31 दिसम्बर, [2][2020] तक की अवधि के लिए] जारी रखते हुए दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के निबंधनो के अनुरूप कोई विधि हो;

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अवधि– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 है ।

(2) इसका विस्तार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर है ।

(3) यह 1 जनवरी, 2012को प्रवृत्त होगा ।

(4) [3][यह [4][अधिनियम 31 दिसंबर, 2020 को, प्रवर्तन में नहीं रहेगा]] जो ऐसे प्रवृत्त न रहने के पूर्व की गई हों या जिनका किए जाने का लोप किया गया हो, और ऐसे प्रवृत्त न रहने पर साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 इस प्रकार लागू होगी मानो यह अधिनियम किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया हो ।

2. **परिभाषाएं**— (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "भवन निर्माण संबंधी उपविधियों" से भवनों से संबंधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा (1957 का 66) 481 के अधीन बनाई गई उपविधियां या नई दिल्ली में यथाप्रवृत, पंजाब नगर निगम अधिनियम (अधिनियम 3), (1911 का पंजाव) 1911 की धारा 188, धारा 189 की उपधारा (3) और धारा 190 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई उपविधियां या दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(ख) "दिल्ली" से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 2 के खंड (11) में यथापरिभाषित, दिल्ली छावनी को छोड़कर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ग) "अधिक्रमण" से आवासीय उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग या किसी अन्य उपयोग के लिए अस्थायी, अर्धस्थायी या स्थायी ढांचा तैयार करने के रूप में पथ, गलियां, पैदल पथ और पार्को से भिन्न, सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि का अप्राधिकृत अधिभोग अभिप्रेत है;

(घ) "स्थानीय प्राधिकरण" से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) के अधीन स्थापित दिल्ली नगर निगम यै नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) के अधीन स्थापित नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् या दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के अधीन स्थापित दिल्ली विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है, जो अपनी-अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्रों के संबंध में नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए विधिक रूप से हकदार है;

---

[1] 2014 के अधिनियम सं० 39 की धारा 3 और धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 और धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2014 के अधिनियम सं० 39 की धारा 3 और धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2021 के अधिनियम सं० 4 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(ङ) "मास्टर प्लान" से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957का 61) के अधीन यथा अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान अभिप्रेत है;]

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(छ) "दंडात्मक कार्रवाई" से अप्राधिकृत विकास के विरूद्ध सुसंगत विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत परिसर को ढा देना, सील करना और व्यक्तियो या उनके कारवारी स्थापन को, चाहे न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में या अन्यथा, विद्यमान स्थान से विस्थापित करना भी होगा;

(ज) "सुसंत विधि" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण की दशा में, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957(1957 का 61);

(ii) दिल्ली नगर निगम की दशा में, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66);

(iii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की दशा में, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) ;

(झ) "विशेष क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो भारत के राजपत्र में का०आ०97(अ), तारीख 17 जनवरी, 2011 द्वारा अधिसूचित विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनियों तता गांव आबादियों के लिएभवन विनियम, 2010 के विनियम 2 के खंड (vi) में उसका है;

(ञ) "अप्राधिकृत विकास" से मंजूर की गई योजनाओं के उल्लंघन में या योजनाओं का मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना या, यथास्थिति, मास्टर प्लान या जोनल प्लान या अभिन्यास योजना के अधीन यथा अनुज्ञात भूमि उपयोग के उल्लंघन में किया गया भूमि का उपयोग या भवन का उपयोग या भवन का निर्माण या कालोनियों का विकास अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अधिक्रमण भी है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होगें जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61), दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957(1957का 66) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 में क्रमशः उनके हैं ।

3. प्रवर्तन का प्रास्थगित रखा जाना– (1) किसी सुसंगत विधि या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम की समाप्ति से पूर्व गंदी बस्ती के निवासियों और झुग्गी-झोपडी क्लस्टरों के निवासियों, [2]*** अप्राधिकृत कालोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके न्तर्गत शहरी गांव भी है) और उसके विस्तार, विद्यमान फार्म हाऊसों, जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं से परे निर्माण में लगे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमी पर बने विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उत्पादों (डेयरी और कुक्कुट सहित) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भाडांगारों और गोदामों द्वारा अधिक्रमण या अधिक्रमण के रूप में अप्राधिकृत विकास की समस्या से निपटने के लिए मानकों, नीतिगत दिशानिर्देशों और साध्य रणनीतियों को, जो नीचे वर्णित है, अंतिम रूप देने के लिए सभी संभव उपाय करेगीः—

(क) पोषणीय, योजनाबद्ध और मानवोचित रीति में दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली शहरी आश्रयस्थल सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 7) और [3][मास्टर प्लान] के उपबंधों के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की गंदी बस्तियों के निवासियों और झुग्गी-झोपडी क्लस्टरों के निवासियों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था;

[1]* * * * * * *

[2][(ग) निम्नलिखित अंतिम तारीखों के अनुसार :–

[1] 2021 के अधिनियम सं० 4 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 32 की धारा 5 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2021 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 (2019 का 45) में यथा उपबंधित अप्राधिकृत कॉलोनियों के लिए ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ii) 31 मार्च, 2002 को यथा विद्यमान ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तार के लिए तथा जहां संनिर्माण कार्य उस तारीख से परे और 1 जून, 2014 तक किया गया है,

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019 (2019 का 45) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 और ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तारण के लिए विनियमों के उपबंधों के अनुसार क्रमबद्ध व्यवस्था;]

(घ) विद्यमान ऐसे फार्म हाऊसों से संबंधित नीति, जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं के परे निर्माण भी सम्मिलित हैं;

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर निर्मित विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उत्पादों (डेयरी और कुक्कुट सहित) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों के संबंध में क्रमबद्ध व्यवस्था के लिए नीति या योजना और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान गोदाम क्लस्टरों के (जिसके अंतर्गत गैर-कृषि माल के भंडारण के लिए गोदाम भी हैं) विकास के लिए अपेक्षित दिशानिर्देश;

(च) विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनियों तथा गांव आबादियों के लिए भवन विनियम, 2010 के संबंध में प्रवृत्त मास्टर प्लान की समग्र परिधि के भीतर क्रमबद्ध व्यवस्था; और

(छ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के सभी अन्य क्षेत्रों में मास्टर प्लान के अनुरूप उसके पुनर्विलोकन की क्रमबद्ध व्यवस्था के लिए नीति या योजना ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए,–

(i) अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की बाबत 1 जनवरी, 2006 को यथाविद्यमान;

[2][(ii) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विनियम, 2019 के अधीन पहचानी गई अप्राधिकृत कॉलोनियों की बाबत, ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तारण, जो 31 मार्च, 2002 को विद्यमान थे, और उपधारा (1) में यथा वर्णित पूर्वोक्त प्रवर्गों में जहां संनिर्माण कार्य 1 जून, 2014 तक हुआ है;]

(iii) विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनियों तथा गांव आबादियों के लिए भवन विनियम, 2010 के अनुसार विशेष क्षेत्रों के संबंध में; और

(iv) 8 फरवरी, 2007 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के भीतर अन्य सभी क्षेत्रों के संबंध में,

यथापूर्व स्थिति बनाई रखी जाएगी ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सुसंगत विधियों और उनके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई विकास, जिसके अंतर्गत प्रवृत्त भवन संबंधी उपविधियों के अधीन अनुज्ञेय मरम्मत भी है, अनुज्ञात बना रहेगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सभी सूचनाएं निलंबित की गई समझी जाएंगी और [1][31 दिसंबर, 2023 तक] कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि–

[1] 2021 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) उसका निर्माण उपधारा (2) में यथा प्रगणित विभिन्न क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व किया जाता है;

(ख) वह प्रवृत्त सुरक्षा मानकों या ऐसी अन्य सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुरूप है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं; और

(ग) वह केंद्रीय सरकार द्वारा सुरक्षा के संबंध में जारी निदेशों, यदि कोई हों, का अनुपालन करता है;

परन्तु यह कि किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करना अपेक्षित होने की दशा में संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्राशासक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार [1][31 दिसंबर, 2023 के पूर्व किसी भी समय] यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) में वर्णित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की बाबत छूट को, अधिसूचना द्वारा, वापस ले सकेगी ।

4. इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय मामलों में लागू न होना–इस अधिनियम के प्रवर्तन की अवधि के दौरान, धारा 3 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के संबंध में कोई राहत उपलब्ध नहीं होगी, अर्थात्–

(क) उन मामलों को छोड़कर जो धारा 3 की उपधारा (1) के [1][खंड (क) और (ग)] के अधीन आते हैं, सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण के संबंध में;

(ख) विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि को खाली कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सुसंगत नीतियों के अनुसार गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ी निवासियों [2]*** अप्राधिकृत कालोनियों या उनके भाग, ग्रामीण आबादी क्षेत्र (जिसके अंतर्गत शहरी गांव भी हैं) और उनके विस्तारण को हटाए जाने के संबंध में ।

5. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति–केन्द्रीय सरकार समय-समय पर स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए वह ठीक समझे और स्थानीय प्राधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे निदेशों का अनुपालन करे ।

6. 1 जनवरी, 2012 से इस अधिनियम के अधिनियमन का तारीख तक की अवधि के दौरान किए गए कार्यों या ऐसे कार्यों का जिनके करने का लोप किया गया है, आदि, विधिमान्यकरण–किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, 1 जनवरी, 2012 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली और इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से ठीक पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किए गए सभी कार्यों या ऐसे कार्यों, जिनके करने का लोप किया गया है और की गई सभी कार्रवाइयों या ऐसी सभी कार्रवाइयों, जिन्हें नहीं किया गया, को जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं, इन उपबंधों के अधीन इस प्रकार किया गया या करने से लोप किया गया या नहीं किया गया समझा जाएगा मानो ऐसे उपबंध उन समयों पर प्रवृत्त थे जब वे कार्य किए गए थे या उनके करने का लोप किया गया था और पूर्वोक्त अवधि के दौरान ऐसी कार्रवाइयां की गई थीं या नहीं की गई थीं ।

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया है ।

COURT BOOK